न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4327–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–11–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 1/विविध/2013–14.

—

1–श्रीमती निर्मलाबाई पिता श्री मेहताबसिंह रघुवंशी
2–श्रीमती उषाबाई पिता श्री मेहताबसिंह रघुवंशी
दोनों निवासी खरगोन पश्चिम निमाड़

.....आवेदिकागण

विरूद्ध

1–शंकर पिता श्री मेहताबसिंह रघुवंशी(मृतक के वारिसान)
1–श्रीमती गुलाबबाई पति स्व0श्री शंकर रघुवंशी
2–दीपक पिता शंकर रघुवंशी
3–निलेश पिता स्व.श्री शंकर रघुवंशी
4–भावना पति श्री महेश रघुवंशी
निवासीगण पहाड सिंगपुरा खरगोन

2–प्रकाश पिता श्री मेहताबसिंह रघुवंशी(मृतक के वारिसान)
1–श्रीमती सरोज पति श्री प्रकाश रघुवंशी
निवासी शिवनी मालवा छतरखेडा जिला होशंगाबाद
2–श्रीमती मंजुला पति श्री भेरूसिंह
निवासी पानी की टंकी के पास पीथमपुरा जिला धार
3–श्रीमती माया पति श्री राजेश
निवासी कालाखेत मोटी माता के पास खरगोन
4–श्रीमती छाया पति श्री अशोक
निवासी रहीमपुरा खरगोन

3–स्व0 संतोष पिता श्री मेहताबसिंह रघुवंशी,
मृतक तर्फे वारिसान
1–श्रीमती मनोरमा पति स्व.संतोष रघुवंशी,
2–अविनाश पिता स्व.संतोष रघुवंशी
3–गौरव पिता स्व.श्री संतोष रघुवंशी
निवासीगण पहाड, सिंगपुरा, खरगोन

4–चिन्ताबाई पिता श्री मेहताबसिंह रघुवंशी

5–गुलाबबाई पिता श्री मेहताबसिंह रघुवंशी

6–रेखा पिता मेहताबसिंह रघुवंशी

7–कलाबाई पिता मेहताबसिंह रघुवंशी

8–उर्मिलाबाई पिता मेहताबसिंह रघुवंशी
निवासीगण खरगोन

.....अनावेदकगण

.....

श्री एच.एन.फड़के, अभिभाषक, आवेदिकागण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 3

श्री अजय जैन, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 4 लगायत 8

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/1/16 को पारित)

आवेदिकागण द्वारा यह निगरानी म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 11–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण कमांक 23/2012–13/अपील दिनांक 3–6–2013 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया । आवेदिकागण द्वारा उक्त प्रकरण को रेस्टोर्ड कराने हेतु संहिता की धारा 35(2) के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 28–10–2013 को तीन माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–11–2013 को आदेश पारित कर आवेदकगण का पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिकागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिकागण खरगोन में निवास करती है और अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के बाद अधिवक्ता द्वारा कहा गया था कि वे पेशी की सूचना उन्हें देंगे, परन्तु अधिवक्ता द्वारा उन्हें पेशी की सूचना नहीं दी गई । इस कारण नियत पेशी दिनांक 3–6–2013 को उपस्थित नहीं हो सकी, जिसका खण्डन आवेदकगण द्वारा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुर्नस्थापन आवेदन पत्र को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 3–6–13 की जानकारी आवेदकगण को दिनांक 7–9–2013 को हुई और उनके द्वारा दिनांक 24–9–2013 को पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि समय सीमा में था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन पत्र 110 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना मानते हुये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुये आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(3) अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को जानकारी नहीं देने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी, जिस कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हुआ है । अतः अधिवकता की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है ।

(4) आवेदकगण की अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने एवं विलम्ब सदभाविक होने से अपर आयुक्त द्वारा धारा–5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अनुपस्थित का कारण समाधानकारक होने के बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा दण्डात्मक आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त करने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1995 आरएन 248, 1986 आरएन 31, 1985 आरएन 23 एवं 1981 ए.आई.आर.(एस.सी.) 1400 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्र. 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के समक्ष जो विषय वस्तु निराकरण हेतु लंबित है, उसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय से हो गया है और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है । ऐसी स्थिति में प्रकरण रेस्टोर्ड करने में रेस–जूडीकेटा की बाधा आती है, अतः अपर आयुक्त का आदेश उचित है । अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुये 110 दिन के विलम्ब का सद्भाविक कारण नहीं दर्शाया गया है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) व्यवहार न्यायालय से अनावेदकगण के पक्ष में पारित डिक्री अंतिम हो गई है, अतः राजस्व अभिलेखों में अनावेदक का नाम दर्ज नहीं है इसलिये यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जबकि व्यवहार न्यायालय से प्रकरण में निर्णय हो गया है, ऐसी स्थिति में पुर्नस्थापन आवेदन पत्र स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–6–2013 को अपील अदम पैरवी में खारिज की गई है । इस संबंध में आवेदकगण की ओर से अपील पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदन पत्र 110 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–6–2013 को आवेदकगण के अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है । इस संबंध आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनके अभिभाषक द्वारा उन्हें जानकारी नहीं दी गई । ए.आई.आर. 1981 (एस. सी.) 1400 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता । अतः

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–11–2013 निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–11–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपर आयुक्त अपील को पुर्नस्थापित कर अपील का गुणदोष पर निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर